राजस्थान सरकार

क्रमांक प. 4(2)राज–6/07/39 राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

जयपुर, दिनांकः–20.11.2007

परिपत्र

राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत भूमि के विभाजन तथा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत भूमि का आवंटन किये जाने पर अथवा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के अन्तर्गत संपरिवर्तन किये जाने पर जमाबन्दी में नोट नहीं लगाया जाता तथा लट्ठा नक्शे में तरमीम नहीं की जाती, जिसके कारण कृषकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि सभी जिला कलेक्टर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970/ राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007/राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत क्रमशः कृषि भूमि के आवंटन/संपरिवर्तन/विभाजन की स्थिति में जमाबन्दी में नोट लगाने, खाता पृथक करने, नोट लगाने तथा लट्ठा नक्शे में तरमीम करने की कार्यवाही की जाए ताकि कृषकों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

(के.जी. अग्रवाल) 20/XI/07
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
7. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व।

शासन उप सचिव 20/XI/07